न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमति कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या – 33 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 पीरूराम पुत्र खेमाराम 2 मृतक गुलाब पुत्र खेमाराम के कायम मुकाम व वारिसान 2 / 1 बीनादेवी पत्नी गुलाब 2 / 2 हीरासिंह पुत्र गुलाब 2 / 3 आसुराम पुत्र गुलाब जातिगण बन्जाराम निवासीगण उटो की घाटी पानी की टकी के पास वार्ड नम्बर 65 सुर सागर जोधपुर राजस्थान 2 / 4 शेलु कुमारी पुत्री गुलाब पत्नी कैलाशराम जाति बन्जारा निवासी भटिण्डा तहसील लूणी जिला जोधपुर राजस्थान 2 / 5 नटीदेवी पुत्री गुलाब पत्नी रामलाल जाति बन्जारा निवासी भटिण्डा बस्ती पाली नयागॉव जिला पाली		1 मृतक खेमाराम पुत्र कानाराम के वारिसान 1 / 1 केसुराम पुत्र खेमाराम जाति बन्जारा निवासी उटा की घाटी पानी की टकी के पास सुर सागर जोधपुर राजस्थान 1 / 2 हनुमानराम पुत्र खेमाराम 1 / 3 अकलाराम पुत्र खेमाराम जातिगण बन्जाराम निवासीगण डोलेरा 267 महेन्द्रगढ हरियाणा 2. तहसीलदार भूमि धारक तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल. आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता वादी उपस्थित
2. श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक 28/03/2024

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पांचवाकंला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 725 / 840 रकबा 0.8000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम दिनांक 06.08.2012 को जरिये रजिस्ट्री श्री ओमसिंह पुत्र श्री बींजराजसिंह जाति राजपुत निवासी सजाडा व भागुराम पुत्र श्री पालाराम जाति भाट निवासी भाटां की ढाणी लाणेरा तहसील सोजत जिला पाली से जरिये वादी संख्या 01 पीरूराम पुत्र खेमाराम व वादी संख्या 02 मृतक गुलाब पुत्र खेमाराम ने खरीद की थी। लेकिन गलती से मृतक वादी संख्या 02 गुलाब पुत्र खेमाराम की जगह गुलाब पुत्र कानाराम व वादी संख्या 01 पीरूराम पुत्र खेमाराम की जगह पीरूलाल पुत्र कानाराम रजिस्ट्री में प्रलेखक एवं अर्जीनवीस यानि रजिस्ट्री टाईप करने वाले ने गलती से पिता की जगह गुलाब व पीरूराम के पिता खेमाराम की जगह कानाराम टाईप कर दिया गया जो एक मानवीय भूल थी। खेमाराम का देहान्त हो चुका है। जिनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण है इसलिए खेमाराम जी के वारिसान आवश्यक पक्षकार होने से वादीगण एवं प्रतिवादी को बनाया गया है। टाईपिस्ट द्वारा रजिस्ट्री में सेवन से वादी संख्या 01 व 2 के दादा कानाराम का नाम लिख दिया गया है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार वाद पेश कर वादस्थ भूमि में वादी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

संख्या 01 पीरूराम पुत्र कानाराम की जगह पीरूराम पुत्र खेमाराम व वादी सख्या 02 मृतक गुलाब पुत्र कानाराम की जगह गुलाब पुत्र खेमाराम रेकर्ड दुरूस्त कर पीरूराम पुत्र खेमाराम व गुलाब पुत्र खेमाराम दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रतिवादी 01/1 से 01/3 ने ईकबालिया जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि माफिक ईश्तदुआ अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपति नही है।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि दौराने रजिस्ट्री टाईपिंग मिस्टेक से पीरूलाल व गुलाब के पिता का नाम कानाराम दर्ज कर दिया जबकि कानाराम इनके दादा का नाम है। पीरूलाल व गुलाब के पिता का नाम खेमाराम है। जिसे दुरूस्त किया जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी से कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य पक्षकारान का स्वीकृत तथ्य है कि वादी राजस्व रेकर्ड में अपने में खातेदारी अधिकार दिनांक 06.08.2012 की बैचान रजिस्ट्री के आधार पर प्राप्त किये है तथा इसी बैचान रजिस्ट्री से नामान्तर स्वीकृत होकर रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज में वर्णित पक्षकार व वल्दियत से ही खातेदार दर्ज किया है। वादी उक्त बेचान रजिस्ट्री में वर्णित पक्षकार का नाम व वल्दियत को दुरूस्त करवाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। जबकि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एल आर एक्ट की विधि में किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज में हुई त्रूटि को दुरूस्त करने का कोई प्रावधान उल्लेखित नही है। रजिस्टर्ड दस्तावेज में हुई पैन ऑफ स्ल्पि की त्रूटि को इस न्यायालय द्वारा दुरूस्त नही किया जा सकता। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज में हुई त्रूटि को शुद्धि दस्तावेज निस्पादित कर या रेक्टीफिकेशन दस्तावेज से ही वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी दृष्टि में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित धारा 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 28/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली